भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 416
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

कोल्लम में समुद्रतटीय बालू खनन

416. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:
क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल्लम में समुद्र तटीय बालू खनन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का विचार रखती है ताकि मत्स्य संसाधनों से भरपूर कोल्लम तट को नष्ट होने से रोका जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का मछुआरों के हितों की रक्षा करने और उनकी आजीविका की रक्षा करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोल्लम में समुद्र तटीय बालू खनन के निर्णय को वापिस लेने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या सरकार ने निविदा प्रक्रिया शुरू होने से पहले मछुआरों की राय ली थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार ने रीफ एंड बेन्थिक डिसरप्शन, टर्बिडिटी और सेडिमेंट प्लम के कारण उत्पन्न समस्या और कोल्लम तट पर इसके प्रभाव पर विचार किया है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (छ): खान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज एवं विकास अधिनियम, 2002 पारित किया, जो 2010 में प्रभावी हुआ । खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि अब तक, अपतटीय क्षेत्रों, टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (ईईज़ेड) या कॉन्टिनेन्टल शेल्फ में कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन अधिकार के निष्पादन से पहले, बोलीदाताओं को लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। इसके अतिरिक्त, अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत उत्पादन योजना के अनुसार ही कोई उत्पादन कार्य किया जाएगा। उत्पादन योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण प्रबंधन योजना भी शामिल है, जिसमें आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों का उल्लेख होता है। उक्त अधिनियम और नियम पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकते हैं। अत:, कोल्लम में केरल तट के पास अपतटीय खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार को "12 समुद्री मील से आगे के अपतटीय खनन क्षेत्रों के लिए संदर्भ शर्तें" शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार को सलाह दी है कि मात्स्यिकी संसाधनों का स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) सुनिश्चित की जाए और मछुआरों की आजीविका के मुद्दों को उत्पादन योजना और पर्यावरण प्रबंधन योजना में पर्याप्त रूप से समाहित किया जाए।

*****